

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट-आवंटन-21/2014-
प्रेषक,

152 आवंटन/कृ0, पटना, दिनांक 28/10/2014

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय : फसल प्रभेद के परीक्षण (Coordinated Varietal Trial) हेतु वर्ष 2014-15 में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा को 14.00 (चौदह) लाख रुपये तथा बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को 19.80 लाख रुपये (उन्नीस लाख अस्सी हजार रुपये) कुल 33.80 लाख रुपये (तैतीस लाख अस्सी हजार रुपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा इसके अधीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के लिए सहायक अनुदान मद में 19.80 लाख रुपये (उन्नीस लाख अस्सी हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप 19,80,000 (उन्नीस लाख अस्सी हजार रुपये) की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-4792 दिनांक-17.10.2014 द्वारा फसल प्रभेद के परीक्षण (Coordinated Varietal Trial) हेतु वर्ष 2014-15 में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा को 14.00 (चौदह) लाख रुपये तथा बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को 19.80 लाख रुपये (उन्नीस लाख अस्सी हजार रुपये) कुल 33.80 लाख रुपये (तैतीस लाख अस्सी हजार रुपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा इसके अधीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के लिए सहायक अनुदान मद में 19.80 लाख रुपये (उन्नीस लाख अस्सी हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। स्वीकृत राशि के अंतर्गत तत्काल व्यय हेतु कुल ₹19,80,000 (उन्नीस लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹19,80,000 (उन्नीस लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र की राशि का व्यय बजट शीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-मांग सं०-1-उप मुख्यशीर्ष-01-फसल कृषि कर्म-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0108- बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर विपत्र कोड-P2415012770108, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5042 में वर्ष 2014-15 में विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में कुल उपबंधित राशि 10,00,00,000 रुपये (दस करोड़) में से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-6720 दिनांक-25.07.2014 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 152 आवंटन

/कृ0, पटना, दिनांक 28/10/2014

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ननीष

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 152 ज्ञाय 27

/क०, पटना, दिनांक 28/10/2014

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक/निदेशक उद्यान/निदेशक, पी०पी०एम (कृषि विभाग)/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, भागलपुर/प्राचार्य उद्यान महाविद्यालय नूरसराय नालन्दा/वित्त विभाग, (बजट-शाखा) बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, (प्रशाखा-04, समन्वय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।